भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1335

11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: बहुस्तरीय खेती को बढ़ावा देना

1335. श्री अनिल फिरोजियाः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मध्य प्रदेश में बहुस्तरीय खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण या वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई नई योजना शुरू की गई है;

(ग) सरकार द्वारा बहुस्तरीय खेती को जलवायु अनुकूल कृषि पद्धति के रूप में बढ़ावा देने के लिए इसके पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस दिशा में कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) छोटे और सीमांत किसानों को बहुस्तरीय खेती अपनाने में मदद करने के लिए क्या रियायतें दी जा रही हैं;

(च) क्या इस प्रयोजनार्थ राजसहायता या ऋण प्रदान करने का कोई प्रावधान किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) मध्य प्रदेश में किसानों को बहुस्तरीय खेती की तकनीक और आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ज) क्या इस संबंध में कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) द्वारा किसानों को पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): मध्य प्रदेश में एमआईडीएच, पीडीएमसी, एटीएमए और कृषि वानिकी आदि योजनाओं के तहत अंतरफसल, बहु-स्तरीय फसल और बहुफसल सहित एकीकृत कृषि के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।

(ग) से (च): केंद्र प्रायोजित योजना 'विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन' जिसे आत्मा योजना के नाम से जाना जाता है, वर्ष 2005 से पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें खेती की गतिविधियों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। वर्तमान में, इस योजना के अंतर्गत देश के 28 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के 739 जिलों को शामिल किया गया है। यह योजना देश में विकेंद्रीकृत और मांग आधारित किसान-अनुकूल विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देती है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को अनुदान सहायता जारी की जाती है, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण, प्रदर्शन, भ्रमण दौरे, किसान मेला, 'किसान हित समूहों' को संगठित करने और प्रगतिशील किसानों के क्षेत्र में फार्म स्कूल स्थापित करने के माध्यम से किसानों के बीच नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों के प्रसार में राज्य सरकार के प्रयासों को पूरक बनाना है। वर्ष 2023-24 के दौरान योजना के तहत लाभान्वित होने वाले किसानों का गतिविधि-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**गतिविधियां**	**सम्पूर्ण भारत में**	**मध्य प्रदेश में**
1.	भ्रमण दौरे	431495	36450
2.	प्रशिक्षण	1208559	74582
3.	प्रदर्शन	217568	12007
4.	किसान मेला/एफएसआई/केजी	1511648	213533
5.	किसान हित समूह (एफआईजी)	22410	4218
6.	फार्म स्कूल	288500	39000
कुल: -		**3680180**	**379790**

मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को पॉलीहाउस, शेडनेट और सूक्ष्म सिंचाई के लिए सब्सिडी प्रदान करके बहुस्तरीय खेती को प्रोत्साहित करती है।

(छ) मध्य प्रदेश में विभिन्न मौजूदा योजनाओं में किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(ज) सरकार ने राज्य सरकारों के विस्तार पदाधिकारियों और किसानों के बीच प्रौद्योगिकी आकलन, प्रदर्शन और क्षमता विकास के माध्यम से बहुस्तरीय खेती सहित कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में 54 केवीके सहित देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) स्थापित किए हैं। केवीके की गतिविधियों में विभिन्न कृषि प्रणालियों के तहत प्रौद्योगिकी की स्थान विशिष्टता की पहचान करने के लिए ऑन-फार्म परीक्षण; किसानों के खेतों पर उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों की उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए फ्रंट लाइन प्रदर्शन; ज्ञान और कौशल उन्नयन के लिए विस्तार पदाधिकारियों और किसानों का क्षमता विकास; और किसानों को उपलब्ध कराने के लिए गुणवत्ता वाले बीज, रोपण सामग्री और अन्य प्रौद्योगिकी इनपुट का उत्पादन शामिल है। किसानों के बीच उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए केवीके द्वारा बड़ी संख्या में विस्तार गतिविधियां शुरू की गई हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान केवीके द्वारा शुरू की जाने वाली गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	गतिविधियां	सम्पूर्ण भारत में	मध्य प्रदेश में
1.	ऑन-फार्म किए गए परीक्षण (संख्या)	47650	7228
2.	आयोजित कुल फ्रंट लाइन प्रदर्शन (संख्या)	275739	22218
3.	प्रशिक्षित किसान (लाख में)	21.56	1.24
4.	प्रशिक्षित विस्तार कार्मिक (लाख में)	1.6	0.06
5.	विस्तार गतिविधियों में भागीदार (लाख में)	205.12	23.22
6.	बीज उत्पादन (लाख क्विंटल में)	1.86	0.13
7.	उत्पादित रोपण सामग्री (लाख में)	464.29	20.98
8.	उत्पादित पशुधन प्रजातियाँ और छोटी मछलियां (फिंगर लिंगस) (लाख में)	343.08	0.37
9.	परीक्षण किए गए मृदा, पानी, पौधे, खाद के नमूने (लाख में)	3.05	0.24

*****